न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 15 / 2014 / अपील

सुगना कुमारी पुत्री बाबूलाल जाति जाट निवासीनी गोरधनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अपीलान्ट

व ना म

1. मुकेश कुमार पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. ग्राम पंचायत मदनी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये: सरपंच ग्राम पंचायत मदनी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 123 दिनांकित 28.02.2001 द्वारा ग्राम पंचायत मण्ढा (मदनी) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्रपाल धायल वकील अपीलान्ट की ओर सें।
2. श्री आनन्द राड रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी।

नि र्ण य दिनांक – 23.03.2022

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 123 दिनांक 28.02.2001 ग्राम पंचायत मण्ढा (मदनी) विधि विरूद्व होने के कारण खारिज होने योग्य है। अपीलार्थीनी के पिता बाबूलाल के कोई जायन्दा पुत्र नहीं था। अपीलार्थीनी केवल मात्र एक पुत्री थी। बाबूलाल द्वारा अपने जीवन काल में किसी को भी गोद नहीं लिया था जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि स्वर्गीय बाबूलाल की मृत्यु के बाद नामान्तकरण अपीलार्थीनी के नाम विरासत के आधार पर तस्दीक किया गया था। चूँकि सुमित्रा बेवा बाबूलाल भी वारिस थी किन्तु वह अन्य जगह नाते चली गयी इस कारण एकमात्र वारिस अपीलार्थीन ही रही एवं उसी के नाम नामान्तकरण वास्तविक हुआ। बाबूलाल का स्वर्गवास दिनांक 30.09.1994

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

को ही हो गया था। उसने किसी को गोद लिया ही नहीं था। ग्राम पंचायत मण्ढा–मदनी द्वारा बिना अधिकार व बिना किसी विधिक प्रक्रिया के मनमाना प्रस्ताव संख्या दो का हवाला देकर रेस्पोडेन्ट संख्या एक को स्वर्गीय बाबूलाल का दत्तक पुत्र बता कर अपीलार्थीनी के साथ मुकेश का नाम नामान्तकरण में अंकित कर दिया गया जो सर्वथा गलत है अतः नामान्तकरण खारिज किया जाना न्याय का तकाजा है। योग्य ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करते समय अपीलार्थीनी को कोई नोटिस ही नही दिया एवं मुकेश कुमार को गोद का पुत्र बताकर नामान्तकरण तस्दीक किया है। जबकि बाबूलाल ने कभी भी गोद लिया ही नहीं है। तथा बाबूलाल की पत्नि सुमित्रा देवी नाते चली गयी इस कारण सुमित्रा को गोद लेने का कानूनी कोई अधिकार ही नहीं रहा है। कृषि भूमियों पर अपने पिता के समय से ही अपीलार्थीनी का कब्जा, काष्त रहा है व बाबूलाल की मृत्यु एवं सुमित्रा के नाते चली जाने के कारण तन्हा अपीलार्थीनी के कब्जे व अधिकार में चली आ रही है इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा बिना कब्जे व अधिकार की जांच किये बिना अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है जो खारिज होने योग्य है। अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमियों के विकास के लिए बैंक से किसान कार्ड बनवाने हेतु जमाबन्दी की नकलें दिनांक 09.04.2014 को ली तो अपीलार्थीनी को नामान्तकरण संख्या 123 दिनांकित 28.02.2001 की जानकारी हुयी इससे पूर्व अपीलार्थीनी को जानकारी नहीं थी व अपीलार्थीनी अब बालिग हुई है इस कारण दिनांक 28.02.2001 से दिनांक 09.04.2014 तक की अवधि ज्ञानाभाव के कारण माफ कि जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाना न्याय संगत है। जिसके लिए धारा 5 अवधि अधिनियम आवेदन अलग से पेश किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि अपील अपीलार्थिया स्वीकार की

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

जाकर नामांतकरण संख्या 123 दिनांकित 28.02.2001 बतस्दीक ग्राम पंचायत मण्डा मदनी तहसील दांतारामगढ को खारिज फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोस्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील आनन्द राड़ हाजिर होकर आवेदन अपील में आपतियां किये जाने हेतु पेश किया जिसमें कथन किया की रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पक्ष में जो नामान्तकरण संख्या 123 दिनांकित 28.02.2001 को ग्राम पंचायत मण्ढा मदनी द्वारा भरा गया है वह रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांकित 22.07.1997 के आधार पर भरा गया है और जब तक रेस्पोडेन्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामा अस्तित्व में है तब तक गोदनामा के आधार पर भरे गये नामान्तकरण को नामान्तकरण अपील के जरिये चेलेन्ज नहीं किया जा सकता। इसलिए अपीलान्ट की उक्त अपील पृथम दृष्टतया ही मय हर्जा खर्जा खारिज होने योग्य है। अपीलांन्ट ने सन् 2008 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में पंजीकृत गोदनामा दिनांकित 22.07.1997 को निरस्त करवाने हेतु एक दावा बउनवानी सुगना बनाम मुकेश कुमार मुकदमा नम्बर 70/2008 माननीय सिवील न्यायाधीश महोदय दांतारामगढ के यहां पेश किया था जो दावा भी माननीय सिवील न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2011 को खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार अपीलान्ट को अपील में वर्णित समस्त तथ्यों का सन् 2008 से तो रिकार्डेड जानकारी है। इस प्रकार अपीलान्ट उक्त अपील मियाद बाहर होने की वजह से भी प्रथम दृष्टया ही मय हर्जा खर्जा खारिज होने योग्य है। अपील आवेदन पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

3. सुनी गयी उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं जबाब अपील आपति का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन सें स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत मदनी द्वारा तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामांतकरण बिना विधिक वारिशान, कब्जे आदि की जांच किये तस्दीक किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मुकेश कुमार जो कि बाबुलाल का फर्जी दत्तक पुत्र था जिसका गोदनामा अपीलान्ट की माता सुमीत्रा देवी ने सन् 1997 में उक्त रेपोस्डेन्ट को दुसरी जगह पुर्नविवाह करने के बाद गोदनामा उपपंजीयक कार्यालय में तस्दीक करवाया था। उक्त तथा कथित गोदनामा को माननीय न्यायालय वरिष्ट सिविल न्यायाधीश दांतारामगढ के यहा दावा बाबत गोदनामा दिनांक 22.07.1997 को शुन्य घोषित करवाने व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया था, जो बाद सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा दिनाक 12.09.2019 को अपीलान्ट का दावा स्वीकार कर पंजीकृत गोदनामा दिनाक 12.09.2019 का शुन्य घोषित कर दिया गया। इस प्रकार अपील अपीलान्ट स्वीकार करना न्यायोचित प्रतित होता है।

अपीलांट की ओर सें दफा 5 मियाद परिसीमा अधिनियम का आवेदन पेश किया है तथा अपीलांट के पिता स्व0 बाबुलाल की पुत्री सुगना वैध वारिस हैं। अतः अपीलांट को मियाद के बिन्दू पर न्याय सें वंचित किया जाना उचित नहीं है तथा ग्राम पंचायत मण्डा मदनी द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामांतकरण बिना विधिवत वारिशान की जांच किये ही तस्दीक किया गया है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 123 दिनांक 28.02.2001 द्वारा ग्राम पंचायत मण्ढा मदनी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पुनः विधिवत वारिशान की जांच करते हुए नामान्तकरण दर्ज कर तस्दीक करने की कार्यवाही कर न्यायालय को पालना सें अवगत करावे।

पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/3/22

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ